


डिक्री बमुकदमें ईब्लादाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 ब्या.प्रक्रियां संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
 पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या:- 220/2019

1. जयपाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला
 हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. सोहनलाल पि०मु० लेखराम जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. शकुन्तला पुत्री सोहनलाल पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी सूरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. बबीता पुत्री सोहनलाल पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी तेजाखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरि०।
4. स्नेहा पुत्री सोहनलाल पत्नी संदीप जाति जाट निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीसं० 1 के नाम से चकनं० 4 एनजीआर के खाता सं० 115/102 में कुल 2.150 है० तथा चकनं० 10 एम.के.एस ए के खाता सं० 169/153 में कुल 1.771 है० आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 4 एनजीआर के खाता सं० 115/102 व चकनं० 10 एम.के.एस ए के खाता सं० 169/153 में से प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।
 निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
 मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक



अदा करे।
 बसवत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5-9-19.....को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी